न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 42 / 2020

1 श्रीमती आंची देवी पुत्री दाखा उर्फ दाखली पुत्री परमाराम उम्र 79 साल जाति जाट निवासी ढाणी कानाकावाली तन ग्राम कोटड़ी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सीताराम पुत्र परमाराम उम्र 51 साल जाति जाट निवासी ढाणी कानाकावाली तन ग्राम कोटड़ी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

2 सवाई सिंह उम्र 44 साल पुत्र परमाराम जाति जाट निवासी ढाणी कानाकावाली तन ग्राम कोटड़ी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

3 महेन्द्र कुमार उम्र 36 साल पुत्र परमाराम जाति जाट निवासी ढाणी कानाकावाली तन ग्राम कोटड़ी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

4 उप पंजीयक उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

5 पटवारी पटवार हल्का तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. ।

6 तहसीलदार तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधि. विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. खण्डेला जिला सीकर पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आरएएस दावा संख्या 188 / 2019 बउनवानी श्रीमती आंची बनाम सीताराम आदि निर्णय दिनांक 12.03.2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजयकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुखदेव महला, अधिवकता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 19/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 188/2019 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने ग्राम कोटड़ी धायलान की भूमि खसरा नम्बर 1047, 1084, 1110, 1112, 1133, 1134, 74, 891, 892, 893, 1045, 1046, 75, 82, 83 के संदर्भ में उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 20.01.2011 से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2011 द्वारा खारिज कर दिया। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 6502/2011 प्रस्तुत की। माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 12.12.2019 के द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया गया। माननीय मण्डल के इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय मण्डल में नजरसानी संख्या 7639/2019 प्रस्तुत की गई जो अभी तक लंबित है। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 151 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर धारा 144 सीपीसी का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की बिना सम्मन तामील करवाये ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मनमाने तरीके से चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये बिना एवं विधिक प्रावधानों के विपरित निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2019 को पत्रावली पुनः दर्ज करने के पश्चात दिनांक 12.03.2020 तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सीताराम विचारण न्यायालय में कब जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व 151 सीपीसी कब प्रस्तुत किया गया उसका कोई उल्लेख विचारण न्यायालय की आदेश तालिका में नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 24.02.2020 को रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु अदालती नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.03.2020 नियत की गई है इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा 06.01.2020 को प्रार्थना पत्र धारा 144 व 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया जाना संभव ही नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 12.12.2019 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नजरसानी संख्या 7639/2019 प्रस्तुत कर रखी है इस आशय की सूचना रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा विचारण न्यायालय में जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2020 को प्रस्तुत की गई। फिर भी विचारण न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को नजर अंदाज कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो निरस्त होने योग्य है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 12.12.2019 के विरूद्ध नजरसानी माननीय मण्डल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.04.2020 नियत है। उक्त नजरसानी के विचाराधीन रहते हुये भी विचाराधीन निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सीताराम ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी सीताराम बनाम आंची देवी संख्या 90/2019 का दिनांक 26.12.2019 को कृषि भूमि खसरा नम्बर 1047, 1084, 1110, 1112, 1133, 1134, 74, 891, 892, 893 कुल किता 10 कुल रकबा 6.49 हैक्टेयर तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1045, 4056, 75, 82, 83 कुल किता 5 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर तन ग्राम कोटड़ी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के संबंध में प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से रिकार्ड की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

03.2020 को अर्थात विचाराधीन निर्णय पारित किये जाने के दिवस ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करवा लिया। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फा. ट्रे. खण्डेला जिला सीकर के मुकदमा नम्बर 188/2019 बउनवानी आंची देवी बनाम सीताराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2020 को निरस्त किये जाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने ग्राम कोटड़ी धायलान की भूमि खसरा नम्बर 1047, 1084, 1110, 1112, 1133, 1134, 74, 891, 892, 893, 1045, 1046, 75, 82, 83 के संदर्भ में उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 20.01.2011 से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2011 द्वारा खारिज कर दिया। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 6502/2011 प्रस्तुत की। माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 12.12.2019 के द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया गया। माननीय मण्डल के इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय मण्डल में नजरसानी संख्या 7639/2019 प्रस्तुत की गई जो अभी तक लंबित है। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 151 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर धारा 144 सीपीसी का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया गया है। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 20.01.2011 माननीय मण्डल से खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दिनांक 20.01.2011 की डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने ग्राम कोटड़ी धायलान की भूमि खसरा नम्बर 1047, 1084, 1110, 1112, 1133, 1134, 74, 891,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

892, 893, 1045, 1046, 75, 82, 83 के संदर्भ में उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 20.01.2011 से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2011 द्वारा खारिज कर दिया। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 6502/2011 प्रस्तुत की। माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 12.12.2019 के द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया गया।

माननीय मण्डल के इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय मण्डल में नजरसानी संख्या 7639/2019 प्रस्तुत की गई जो अभी तक लंबित है परन्तु प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 151 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर धारा 144 सीपीसी का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया गया है।

इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 20.01.2011 माननीय मण्डल से खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दिनांक 20.01.2011 की डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर